

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली-2015 के भाग-ख

एस0आई0ए0 की अधिसूचना

देखें नियम-6 का उप-नियम (1)

अधिसूचना संख्या- 311/भू अ0

दिनांक- 28.07.2016

i. परियोजना का नाम :- मधुपुर-लहरजोरी पथ निर्माण परियोजना, जिला-देवघर।

प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण, अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार एवं परियोजना क्षेत्र और एस0 आई0 ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र :-

क्र0	ग्राम का नाम	थाना सं0	थाना	अंचल का नाम	अधियाचित रकवा (एकड़ में)
1	रामपुर	463	मारगोमुण्डा	करौं	4.81
2	महजोरी	455	मारगोमुण्डा	करौं	2.31
कुल रकवा-					7.12

ii. एस0 आई0 ए0 के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत हैं :-

(क) परामर्श (ख) सर्वेक्षण (सर्वे) (ग) लोक सुनवाई/सुनवाईयाँ

iii. एस0आई0ए0 की प्रक्रिया इस अधिसूचना के निर्गत तिथि से एक माह के अंदर पूर्ण कर ली जायेगी एवं अंतिम एस0आई0ए0 प्रतिवेदन हिन्दी भाषा में यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत, प्रखण्ड/अंचल कार्यालय, ~~पुरी~~, अनुमंडल कार्यालय, ~~मधुपुर~~, जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर एवं अपर समाहर्ता, देवघर के कार्यालयों में उपलब्ध होंगे तथा देवघर जिला के वेबसाइट [www.deoghar.nic.in](http://www.deoghar.nic.in) में भी देखा जा सकता है।

iv. यह कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृति और शून्य कर देगा।

- राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई का नाम :- **AFC India Ltd. Mumbai (Regional Office Delhi)**
- ई मेल :- **afcl@vsnl.com, afcindia.delhi@gmail.com**
- वेबसाइट :- **www.afcindia.org.in**
- दूरभाष संख्या :- **022-22028924, 011-45791190-96**

ए/—

उपायुक्त-सह-समाहर्ता,  
देवघर।


ज्ञापांक 311/भू अ0, देवघर दिनांक- 28 वीं, जुलाई, 2016 ई0।

प्रतिलिपि : **AFC India Ltd. Mumbai (Regional Office Delhi)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सी0डी0 सहित प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।



उपायुक्त-सह-समाहर्ता,  
देवघर।